कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-300/2023 दिनांक-17.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मुबारकपुर

ट्रक में लदे 16 राशि भैंस के साथ एक गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 17.09.2023 को चौकी प्रभारी लोहरा उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भैसों को काफी क्रूरता पूर्वक लादकर गाजीपुर की तरफ से लखनऊ की ओर जा रहा था जिसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पीलर नं0 252 पर एक्सीडेन्ट हुआ है। वह सभी जानवरों को इसी गाड़ी पर लादकर ले जाने के फिराक मे है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर की निशांदेही पर पुर्वांचल एक्सप्रेसवे पीलर नं0 252 पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक न0 RJ11GA 8198 को कब्जा पुलिस मे लिया गया जिसपर क्रूरता पूर्वक बंधी हुई तीन राशी मृत भैंस व दो राशि घायल भैंस तथा शेष 11 राशि जिन्दा भैंस बरामद की गयी। ट्रक के भीतर सो रहे ट्रक चालक सज्जाद कुरैशी पुत्र निजामुद्दीन कुरैशी निवासी ग्राम पारा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10.30 बजे पूर्वांचल एक्स प्रेसवे के पीलर नं0 252 से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः- सज्जाद कुरैशी पुत्र निजामुद्दीन कुरैशी निवासी ग्राम पारा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

बरामदगीः- एक अदद ट्रक RJ11GA 8198 एवं क्रूरता पूर्वक बंधी हुई तीन राशी मृत भैंस व दो राशि घायल भैंस तथा शेष 11 राशि जिन्दा भैंस

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0सं0 455/2023 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 207 एमवी एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिहं का0 सर्वेस कुमार व का0 मुन्ना यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना बिलरियागंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17.09.2023 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान आलिया पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर मोड़ के पास खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अतीक पुत्र कासिम ग्राम मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया जिसके कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त अतीक को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 12.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 333/2023 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1- अतीक पुत्र कासिम ग्राम मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- अवैध 01 अदद तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 333/2023 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 12.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त फहीम पुत्र सलीम द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 261/2023 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.09.2023 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त फहीम पुत्र सलीम को रेलवे स्टेशन आजमगढ से समय करीब 05.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिफ्तार अभियुक्त - फहीम पुत्र सलीम निवासी जोलहापुर थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 261/2023 धारा 363/366 भादवि बढोत्तरी धारा 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना- देवगांव

गैंगेस्टर एक्ट का अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 16.09.2023 को उ0नि0 इल्ताफ खाँ मय हमराह कस्बा देवगांव में मौजूद थे कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति झोले में अवैध गांजा लेकर करियागोपालपुर मोड़ पर कही जाने की फिराक में खड़ा है। उक्त व्यक्ति पूर्व में भी गोवध में जेल जा चुका है जेल से छूटकर गांजा तस्करी में लिप्त हो गया है। इस सूचना पर मै उ0नि मय हमराह के करियागोपालपुर मोड़ से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम महताब पुत्र शमसुद्दीन निवासी कटौली कला थाना देवगाव जनपद आजमगढ तथा भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास हाथ में लिये इस झोले में गांजा है जिसे बेचने के लिये जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से करीब 01 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पकड़े गये अभियुक्त से कड़ाई से गाजे के श्रोत के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त महताब द्वारा बताया गया कि बिहार से एक व्यक्ति चन्दवक में लाकर गांजा मुझे तथा अन्य व्यक्तियो को देता है वही मुझे भी गांजा दिया था जिसका नाम मै नही जानता हूँ। पहले मै जानवर काटता था जिसमे जेल जाने के पश्चात व काटने पर प्रतिबंध लगने के कारण जीवन यापन के लिए चन्दवक गया था जहा उक्त व्यक्ति मिला। पकड़े गये व्यक्ति को उसके अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS ACT का बोध कराते हुए समय करीब 20.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 431/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 01.50 किलोग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त- महताब उर्फ मेहताब पुत्र शमसुद्दीन सा0 कटौली कला थाना देवगाव जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
01	53/2021	3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनिमय	देवगांव	आजमगढ़
02	84/2021	3/5ए/8 गोवध व 11 पशु क्रूरता अधिनियम	देवगांव	आजमगढ़
03	177/22	307 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम	देवगांव	आजमगढ़
04	169/23	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
05	431/2023	8/20 एनडीपीएस एक्ट	देवगांव	आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 इल्ताफ खाँ मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना अतरौलिया

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –वादिनी मुकदमा ने थाना अतरौलिया पर शिकायत किया कि विपक्षी अर्जुन यादव पुत्र लालचन्द यादव ग्राम बिलारी मु0 अजगरा द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर 3 वर्षो से शारीरिक शोषण व शारीरिक सम्बन्ध भी बनाया तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज मार पीट कर घर से भगा दिया, जब मुकदमा वादिनी के माता पिता कही दूसरी जगह शादी करना चाहते है तो वहाँ भी अभियुक्त अर्जुन यादव द्वारा गलत गलत मैसेज वीडियो रिकार्डिंग भेजा गया, उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 14.09.2023 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/23 धारा 376/323/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3(2)5 sc/st act थाना अतरौलिया जिला आजमगढ बनाम अर्जुन यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी ग्राम बिलारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ और विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर मंजय सिंह के प्राप्त हुआ।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 17.09.2023 को उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अर्जुन यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी ग्राम बिलारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को बस स्टैण्ड अतरौलिया से समय 09.40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 288/23 धारा 376/323/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3(2)5 sc/st act थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त– 1. अर्जुन यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी ग्राम बिलारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह 2. हे0का0 मनोज यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना- पवई

हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 01.07.2023 को वादी मुकदमा शिवराज पुत्र राममिलन निवासी ग्राम तेलई का पूरा बेलवाई थाना पवई जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्तो 1.रणजीत दुबे पुत्र रामउदय दुबे 2. बृजभान गुप्ता पुत्र अज्ञात 3 अमर दुबे पुत्र रणजीत दुबे नि0गण तेलिया का पुरा थाना पवई जनपद आजमगढ ने वादी मुकदमा के पिता को साथ में शराब ने पीने के लिये गाली गलौज करते हुये सिर पर लोहे की राड से मार कर जान से मारने का प्रयास किये सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2023 धारा 307/323/504 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ बनाम 1.रणजीत दुबे पुत्र रामउदय दुबे 2. बृजभान गुप्ता पुत्र अज्ञात 3. अमर दुबे पुत्र रणजीत दुबे नि0गण तेलिया का पुरा थाना पवई जनपद आजमगढ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः- आज दिनांक 17.09.2023 को व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अमर दुबे पुत्र रणजीत दुबे नि0गण तेलिया का पुरा बेलवाई थाना पवई जनपद आजमगढ को खेमीपुर पुलिया से समय करीब 07.40 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0सं0 210/2023 धारा 307/323/504 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना पवई आजमगढ।

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तः— अमर दुबे पुत्र रणजीत दुबे नि0गण तेलिया का पुरा बेलवाई थाना पवई जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी

चोरी के समरसेबल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 15.09.2023 को वादी मुकदमा मु0 हफीज खान उर्फ मिस्टर खान पुत्र स्व0 मेहदी सा0 भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर शिकायत किया कि विपक्षी 1.उमेश यादव पुत्र बेचन यादव सा0 भदुली (दख्खिन का पुरा) थाना सिधारी आजमगढ़ 2. अरमान पुत्र तौहीद सा0 भदुली (दख्खिन का पुरा) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व अन्य अज्ञात द्वारा वादी के बगीचे से दो हार्स पावर का समर सेबल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0352/2023 धारा 379 भादवि बनाम 1.उमेश यादव पुत्र बेचन यादव सा0 भदुली (दख्खिन का पुरा) थाना सिधारी आजमगढ़ 2. अरमान पुत्र तौहीद सा0 भदुली (दख्खिन का पुरा) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व अन्य के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रतन कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 16.09.2023 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र बेचन यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी आमजगढ को भदुली पुल से समय 15.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके निशा देही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित समरसेबुल को अभियुक्त उमेश यादव के दुकान से बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त आरिफ पुत्र शमीम उम्र 19 वर्ष नि0गण ग्राम खानटोला भदुली थाना सिधारी आजमगढ का नाम प्रकाश में आया जिसे अभियुक्त उमेश यादव के दुकान से समय 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 0352/2023 धारा 379 भादवि बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उमेश यादव पुत्र बेचन यादव

1. मु0अ0सं0 0352/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 228/04 धारा 392/452/323/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

अभियुक्त आरिफ पुत्र शमीम

1. 1. मु0अ0सं0 0352/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमेश यादव पुत्र बेचन यादव उम्र 24 वर्ष ग्राम भदुली थाना सिधारी आमजगढ
2. आरिफ पुत्र शमीम उम्र 19 वर्ष ग्राम खानटोला भदुली थाना सिधारी आजमगढ

बरामदगी – चोरी गये एक अदद समरसेबुल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 रतन कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. कां0 इन्दल कुमार थाना सिधारी आजमगढ़